



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt of India)



पंचदीप भवन, सी० आई० जी० मार्ग, नई दिल्ली
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi-02
Website : www.esic.nic.in

एफ. संख्या-ए-28015/1/2022-स्था. 3

दिनांक: 12.04.2023

ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तहत मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के बच्चे या भाई-बहन को पारिवारिक पेंशन देना।

Subject: Grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to a child or sibling of a deceased Government servant/pensioner suffering from a mental or physical disability.

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या: F.No. 1/1(1)0/2022-P&PW (E) दिनांक: 26.10.2022 आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

On the above subject the Office Memorandum No. F.No. 1/1(1)0/2022-P&PW (E) dated 26.10.2022 Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of pension and Pensioners' Welfare is forwarded for necessary action.

संलग्नक: यथोपरि।

Attachment: Above.

सहायक निदेशक

प्रति:-

1. महानिदेशक / वित्त आयुक्त के प्रधान निजी सचिव।
2. सभी ज़ोनल बीमा आयुक्त व चिकित्सा आयुक्त।
3. सभी बीमा आयुक्त / बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)।
4. सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक (प्रभारी) / उप निदेशक (प्रभारी)।
5. निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली / नोएडा / के. के. नगर।
6. सभी क.रा.बी. निगम अस्पताल / क.रा.बी. निगम माडल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थान के डीन।
7. सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय / अस्पताल / चिकित्सा शिक्षा संस्थान के संयुक्त निदेशक (वित्त) / उप निदेशक (वित्त) / सहायक निदेशक (वित्त)।
8. उप निदेशक, स्थापना शाखा- 5,।
9. संयुक्त निदेशक, स्थापना शाखा- 1, मुख्यालय।
10. वित्त एवं लेखा शाखा- 3 / 4, रोकड़ शाखा मुख्यालय ।
11. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।